

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो
कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त,
'नारकोटिक्स हाउस' राजस्व कॉलोनी के पास,
नीमच (म.प्र.) 458441



Government of India
Ministry of Finance, Department of Revenue
Central Bureau of Narcotics
O/o the Deputy Narcotics Commissioner,
"Narcotics House", Near Rajaswa Colony,
Neemuch (M.P.) 458 441

EPABX-07423-223030

FAX- 07423-220077/220099

e-mail : dnc-neemuch@cbn.nic.in

F.No. I(22)4/Adm./Truck/2017/

Dated : .02.2017

विज्ञप्ति


मध्य-प्रदेश इकाई में अफीम फसल वर्ष 2016-17 के लिए विभिन्न अफीम तौल केन्द्रों जैसे नीमच, मनासा, सिंगोली, मन्दसौर, सीतामऊ, जावरा, दूधखेड़ी(गरोठ) से नीमच फैक्ट्री में अफीम के कन्टेनरों को बंद ट्रकों द्वारा निर्देशानुसार सुरक्षित रूप से पहुँचाने हेतु निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं।

नियम एवं शर्तें

1. विभाग को 8 से 10 बंद ट्रकों की आवश्यकता होगी। ट्रक, टर्बो 32 फीट लम्बाई के होने चाहिए, जो पूरी तरह से बंद हों एवं जिनके दरवाजे पर ताला लगाकर सील किया जा सके एवं जिनको GPS द्वारा track किया जा सके। ट्रकों की टूट-फूट, रिपेयरिंग की जिम्मेदारी स्वयं पार्टी की होगी।
2. निविदा में ट्रक किराया प्रतिदिन प्रति ट्रक एवं डीजल किलोमीटर/प्रति लीटर के अनुसार दर्शाना होगा। निविदा में प्रतिदिन किराये में सम्मिलित सर्विस टैक्स व अन्य टैक्स भी अलग-अलग दर्शाएं। निविदादाता अपनी मोहरबंद निविदा जिस पर "अफीम परिवहन हेतु बन्द ट्रक की निविदा" लिखा हो, इस कार्यालय में दिनांक 06.03.2017 को 18:00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं जिन्हें दिनांक 07.03.2017 को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष 11:00 बजे खोला जाएगा।
3. ऐसे जिम्मेदार निविदादाताओं को ही प्राथमिकता दी जावेगी, जिनके पास उक्त इच्छित संख्या में खुद के स्वामित्व के ट्रक होंगे।
4. निविदादाताओं को प्रति निविदा के साथ धरोहर राशि के रूप में ₹ 25,000/- (रूपये पच्चीस हजार) मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो "अधीक्षक (कार्यपालक), केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, नीमच" के नाम पर देय हो, संलग्न करना आवश्यक होगा।
5. सभी केन्द्रों पर अफीम तौल कार्य एक साथ आरंभ होगा, जो माह अप्रैल के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होकर लगभग 20 दिनों तक चलेगा। दिनों की संख्या घट-बढ़ सकती है एवं अफीम तौल केन्द्र भी बदले जा सकते हैं। अफीम तौल कार्य प्रारंभ होने की सूचना फर्म को पूर्व में ही दे दी जाएगी।
6. रोड़ टैक्स एवं टोल टैक्स का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा, जिसका भुगतान मूल बिल प्रस्तुत करने पर विभाग से प्राप्त किया जा सकेगा।
7. नोडल बिन्दु कार्यालय जिला अफीम अधिकारी नीमच प्रथम/द्वितीय/अतिरिक्त, मन्दसौर प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जावरा प्रथम/द्वितीय एवं गरोठ होगा। आपको सभी ट्रक आदेशानुसार कार्यालय जिला अफीम अधिकारी नीमच प्रथम/द्वितीय/अतिरिक्त, मन्दसौर प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जावरा प्रथम/द्वितीय, गरोठ खण्ड के अफीम तौल केन्द्र नीमच, मनासा, सिंगोली, मन्दसौर, सीतामऊ, जावरा, दूधखेड़ी(गरोठ) में निर्धारित समय एवं दिनांक पर आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाने होंगे।
8. इस संबंध में किसी भी जानकारी के लिए कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच (म.प्र.) में 10:00 बजे से 18:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।


9. यदि निविदादाता द्वारा निश्चित समय तक ट्रक उपलब्ध नहीं करवाया जाता है, अथवा परिवहन के दौरान ट्रक खराब हो जाता है तो विभाग को यह अधिकार होगा कि वह कार्य निष्पादन हेतु किसी भी स्थानीय फर्म से ट्रक भाड़े पर ले लेवे तथा इस संबंध में हुये नुकसान की क्षतिपूर्ति का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जायेगा।
10. वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेन्स व वाहन का वैध रजिस्ट्रेशन व इन्श्योरेन्स होना अनिवार्य है।
11. ट्रक वाहन चालक व क्लीनर को किसी भी प्रकार के नशे का व्यसन नहीं होना चाहिये।
12. फर्म द्वारा संतोषजनक कार्य न किये जाने की स्थिति में फर्म का भुगतान रोका जा सकता है/कटौती की जा सकती है एवं धारोहर राशि भी जप्त की जा सकती है।
13. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए रद्द किया जा सकता है तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
14. इस संदर्भ में कोई भी कानूनी कार्यवाही नीमच न्यायालय के अधीन होगी।
15. सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होंगे।
16. उक्त निविदा इस विभाग की वेबसाईट <http://cbn.nic.in> पर भी उपलब्ध है।

आज्ञा से


22.02.2017
सहायक नारकोटिक्स आयुक्त/
नीमच (म.प्र.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान सहायक नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उक्त निविदा को विभाग की वेबसाईट <http://cbn.nic.in> पर प्रकाशित करवाने का श्रम करें।
2. श्रीमान उप नारकोटिक्स आयुक्त, कोटा को सूचनार्थ।
3. जिला अफीम अधिकारी, नीमच प्रथम/द्वितीय/अतिरिक्त, मन्दसौर प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जावरा प्रथम/द्वितीय, गरोठ खण्ड को इस आशय से प्रेषित है कि आप आपके इलाके में प्रचलित एवं प्रतिष्ठित फर्मों को सूचित करें।


22.02.2017
अधीक्षक (कार्य.)
नीमच (म.प्र.)